



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122024-259311
CG-DL-E-10122024-259311

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4931]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 2024/ अग्रहायण 19, 1946

No. 4931]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 2024/ AGRAHAYANA 19, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5327(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उपधारा (1) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में तारीख 21 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सं.का.आ. 1911(अ) तारीख 21 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना के अधिक्रमण में (अधिसूचना संख्या का.आ. 1223(अ), तारीख 14 मार्च, 2023 द्वारा यथासंशोधित), सिवाय उन कार्यों के जो ऐसे अधिक्रमण के पहले किए गए या किए जाने से लोप किये गए थे, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उप-धारा (1) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 84 के प्रयोजनार्थ, नीचे सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित निम्नलिखित न्यायालयों को तमिलनाडु राज्य में विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित करती है, अर्थात:-

सारणी

क्रम.सं.	न्यायालय	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	I अपर मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ई.ओ. (I), चेन्नई का न्यायालय और II अपर मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ई.ओ. (II), चेन्नई का न्यायालय	अरियालूर, चेन्नई, चेंगलपट्टूर, कडलूर, कांचीपुरम, कल्लाकुरुचि, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, पेरम्बलूर, रानीपेट, तिरुवल्लूर, तिरुवरूर, तिरुवन्नामलाई, तिरुपथुर, वेल्लोर और विल्लुपुरम जिले।
2.	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मदुरई का न्यायालय	डिंडीगुल, कन्याकुमारी, करूर, मदुरै, पुदुक्कोट्टई, रामनाथपुरम, शिवगंगई, तंजावुर, थेनी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, तिरुचिरापल्ली, तेनकासी और विरुधुनगर जिले।
3.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोयम्बटूर का न्यायालय	कोयम्बटूर, धर्मपुरी, इरोड, कृष्णगिरी, नमक्कल, नीलगिरी, सेलम और तिरुपुर जिले।
4.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुदुचेरी का न्यायालय	कराईकल और पुदुचेरी जिले।

[अधिसूचना सं. 126/2024/फा. सं. 285/26/2021-आईटी (अन्वे.V), सीबीडीटी]

अनुराग शर्मा, आयुक्त (ओएसडी) (अन्वे.), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2024

S.O. 5327(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 280A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 84 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes number S.O.1911(E), dated the 21st April, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 21st April, 2022 (as amended *vide* notification number S.O.1223(E), dated the 14th March, 2023), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Madras, hereby designates the following courts mentioned in column (2) of the Table below in the State of Tamil Nadu, as Special Courts for the areas mentioned in column (3) of the said Table, for the purposes of sub-section (1) of section 280A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 84 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015), namely:—

TABLE

Serial number	Court	Area
(1)	(2)	(3)
1.	Court of I Additional Chief Metropolitan Magistrate E.O. (I), Chennai and the Court of II Additional Chief Metropolitan Magistrate E.O. (II), Chennai	Districts of Ariyalur, Chennai, Chengalpattu, Cuddalore, Kancheepuram, Kallakuruchi, Mayiladuthurai, Nagapattinam, Perambalur, Ranipet, Tiruvallur, Tiruvarur, Tiruvannamalai, Tirupathur, Vellore and Villupuram.

2.	Court of Additional Chief Judicial Magistrate, Madurai	Districts of Dindigul, Kanniyakumari, Karur, Madurai, Pudukkottai, Ramanathapuram, Sivagangai, Thanjavur, Theni, Tirunelveli, Thoothukudi, Tiruchirapalli, Tenkasi and Virudhunagar.
3.	Court of Chief Judicial Magistrate, Coimbatore	Districts of Coimbatore, Dharmapuri, Erode, Krishnagiri, Namakkal, Nilgiris, Salem and Tiruppur.
4.	Court of Chief Judicial Magistrate, Puducherry	Districts of Karaikal and Puducherry.

[Notification No.126 /2024/F. No. 285/26/2021-IT(Inv.V)CBDT]

ANURAG SHARMA, Commissioner (OSD) (INV.), Central Board of Direct Taxes